न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 12 / 12 / 2022 दायर दिनांकः–17 / 8 / 2023

जीसीएमएस न0ः–2023 / 454 निर्णय दिनांकः– 13.5.2024

वउनवान

1. रामकली पुत्री हीरालाल जाति माली निवासी गंजपुर तहसील कठूमर
2. रामदेई पुत्री हीरालाल जाति माली निवासी गंजपुर तहसील कठूमर

——–—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत गंजपुर–नूरपुर जिला अलवर

——–—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 847 वाके ग्राम गंजपुर आज्ञा दिनांक 21.03.2023 ग्राम पंचायत गंजपुर–नूरपुर

उपस्थितः–श्री थानसिंह कर्दम–अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री सतवीर राणा– अधिवक्ता रेस्पोडेण्टस

–ः निर्णयः–

संक्षिप्त तथ्य अपील अपीलाण्टस इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 431, 432, 484, 496, 397, 416, 498, 434, 435, 494, 497, 396, 415, 433, 495 ग्राम गंजपुर तहसील कठूमर मुताविक हिस्सा अपीलाण्टस के पिता हीरालाल माली की कब्जे काश्त खातेदारी की आ[illegible]। अपीलाण्टस के पिता हीरालाल के स्वर्गवास हो जाने पर उसकी विरासत इ[illegible] संख्या 847 वाके ग्राम गंजपुर पटवारी हल्का ने अपीलाण्टस की बिना सुने बिना बुलाये अपीलाण्ट[illegible] सही नाम की जानकारी किये विना अपीलाण्टस के नाम व पहचान के दस्तावेज [illegible] ही गैर कानूनी ढंग से व मनमाने तरीके से अपीलाण्टस रामकली का नाम छोटा व रामदेई का नाम सूकी अंकित कर दिया। जिस इन्तकाल को कानूनगो हल्का ने अपीलाण्टस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.17 12:36:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

को बिना बुलाये बिना सुने सही नाम की जांच किये बिना ही इन्तकाल पर अंकन सही होना अंकित कर दिया जिस विरासत इन्तकाल को पटवारी हल्का ने दिनांक 21.03.2023 को रेस्पो0 के समक्ष वास्ते स्वीकृति पेश किया, जिस दोष पूर्ण इन्तकाल को रेस्पो0 ने बिना सुने बिना बुलाये मनमाने तरीके से अपीलाण्टस के नाम की सही जांच किये बिना व पहचान के दस्तावेज लिये बिना ही स्वीकार कर दिया तथा इस दोष पूर्ण इन्तकाल के आधार पर उसका अमल जमाबन्दी में कर दिया गया, जबकि अपीलाण्टस के समस्त पहचान के दस्तावेज जैसे पहचान पत्र राशन कार्ड पैन कार्ड आदि दस्तावेज में अपीलाण्टस का सही नाम रामकली व रामदेई अंकित है। ऐसा कर रेस्पो0 ने कानूनी भूल की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत है। इस वजह से रेस्पो0 का आदेश दिनांक 21.03.2023 दोष पूर्ण होने से निरस्त किये जाने हेतू अपील अदालत श्रीमान में पेश की गई है। गलत इन्तकाल की जानकारी अपीलाण्टस को दिनांक 22.07.2023 को उस समय हुई जब अपीलाण्टस अपनी खातेदारी की आराजी पर क्रेडिट कार्ड बनवाने की फाइल बनवाने पटवारी हल्का के पास गयीं। उससे पहले उक्त दोष पूर्ण इन्तकाल की जानकारी अपीलाण्टस को नहीं हुई, जानकारी होने पर अपीलाण्टस ने दोषपूर्ण इन्तकाल की दिनांक 24.07.2023 को ही नकल लेकर रेस्पो0 से उक्त गलत इन्तकाल को सही करने बावत कहा तो रेस्पो0 ने इन्कार कर दिया। दिनांक 21.03.2023 से दिनांक 17.08.2023 तक की देरी को कण्डोन किये जाने का उचित कारण है। अतः अपील के साथ अपीलाण्टस ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया व अपील पेश करने में हुई देरी का उचित कारण बताते हुये देरी को कण्डोन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पो0 ने दिनांक 18.09.2023 को अपील के तथ्यों को स्वीकार कर इकबाल जबाब पेश किया है।

अपीलाण्टस ने अपनी अपील के साथ नामीन्तकरण संख्या 847, नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 बाबत ग्राम ..., आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशनकार्ड की छाया प्रति पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.17 12:36:03 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व नामान्तकरण व छायाप्रति आधारकार्ड, पैनकार्ड व राशन कार्ड का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये अपील अपीलाण्टस स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 847 वाके ग्राम गंजपुर में अपीलाण्ट का नाम छोटा के स्थान पर रामकली व सूकी के स्थान पर रामदेई दर्ज करने का निवेदन किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस की बहस पर मनन किया। अपील के निर्णय से पहले हमें प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना है।अपीलाण्टस ने उक्त दोष पूर्ण इन्तकाल की जानकारी पटवारी हल्का के पास जाने से होना जाहिर किया है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्टस अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत इन्तकाल संख्या 847 वाके ग्राम गंजपुर मे छोटा व सूकी पुत्रियान हीरालाल अंकित है। आधार कार्ड, पैनकार्ड में रामकली व रामदेई अंकित है।अपीलाण्टस का कथन है कि इन्तकाल में बिना सुने बिना नोटिस दिये रेस्पो0 ने मनमाने तरीके से अपीलाण्ट रामकली का नाम छोटा व रामदेई का नाम सूकी दर्ज कर स्वीकार किया है।रेस्पो0 ने अपील के तथ्यों को स्वीकार कर इकबालिया जबाब पेश किया है। गवाह रमेश, रूपसिंह ने भी अपने शपथ पत्र में कथन किया कि छोटा व सूकी नाम की उनके कोई बहन, बुआ नहीं है बल्कि छोटा का सही नाम रामकली व सूकी का सही नाम रामदेई है।विरासत इन्तकाल में इनका नाम गलत अंकित किया है जो सही कर दिया जावे। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड छाया प्रति आधार कार्ड पैन कार्ड व राशनकार्ड की छाया प्रति व रेस्पो0 के इकबालिया जबाब के अवलोकन से इन्तकाल संख्या 847 वाके ग्राम गंजपुर रेस्पो0 ने अपीलाण्टस को बिना सुने बिना नोटिस दिये ही रेस्पो0 द्वारा स्वीकार किया जाना प्रतीत होता है अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर विरासत इन्तकाल संख्या 847 वाके ग्राम गंजपुर व आज्ञा दिनांक 21.03.2023 को निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.17 12:36:03 IST
Reason: SelfAttested

17.5.24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

अतः अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 847 वाके ग्राम गंजपुर से प्रभावित आराजी खसरा नम्बर 431, 432, 484, 496, 397, 416, 498, 434, 435, 494, 497, 396, 415, 433, 495 ग्राम गंजपुर तहसील कठूमर को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाण्टस रामकली, रामदेई के नामों की सही जानकारी प्राप्त कर विधिनुसार पुनः सुनवाई कर नामान्तकरण दर्ज करे। अपील अपीलाण्ट फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.5.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.17 12:36:03 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	न... अहक... की ता...
7/5/24	वकील वादी/अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी की बहस सुनी। वास्ते आदेश दिनांक 13/5/24 को पेश हो। SDM	
13/5/24	वकील अपीलार्थी उपस्थित। बहस अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर प्रकरण में तत्काल सं. 847 वाके ग्राम गंजपुर तहसील [illegible] से मिसल तलब किया जाकर प्रकरण तहसीलदार [illegible] को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलार्थीगण के नामों की सही जानकारी प्राप्त कर विधिनुसार पुनः सुनवाई कर नामान्तरकरण दर्ज करे। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर हस्ता० पत्रावली किया गया। पत्रावली मौमिल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। हुक्म 13/5/24 SDM	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.17 12:36:03 IST
Reason: SelfAttested